

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल खड़गपुर-तारापुर

पत्रांक :- 1488(उन्क)/तारापुर

दिनांक:- 20/08/2024

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, खड़गपुर-तारापुर।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण (ब्राडा), पटना।

विषय :- शीर्ष NABARD Maintenance योजना अंतर्गत R.E.O road Durgapur to Gonai via Kendua Babhanchaka Jamua path ka nirman kary पथ में अनुरक्षण कार्यों का आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

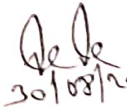
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष NABARD Maintenance अंतर्गत R.E.O road Durgapur to Gonai via Kendua Babhanchaka Jamua path ka nirman kary पथ में अनुरक्षण कार्यों के भुगतान हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार रु०-2.02381 लाख राशि की आवश्यकता है।

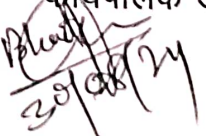
अतः अनुरोध है कि उक्त राशि का आवंटन उपलब्ध कराया जाए, ताकि संवेदक को भुगतान किया जा सके।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन


30/08/24

कार्यपालक अभियंता

30/08/24

राज्य योजना (नाबाडी) अंतर्गत पथों में पंचवर्षीय अनुसूक्षण प्रपत्र																													
क्र० सं०	कार्य प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	एकराशना के अनुसार प्राक्कानित राशि वर्षवार					कुल राशि (लाख में)	व्यय की राशि वर्षवार						कुल राशि (लाख में)	प्रस्तावित स्वीकृति की राशि व प्रस्तावित स्वीकृति की राशि में	पंचवर्षीय अनुसूक्षण की राशि सहित अनुसूचित परमाणु विवर की राशि (लाख में)	30.23 lacs.	Lt. 5220 Dt. 01.10.2019	65.76 lacs.	Lt. 5220 Dt. 01.10.2019	अनुसूक्षण हेतु प्रस्तावित स्वीकृति का पत्रांक/दिनांक	मूल निर्माण कार्य करने की वास्तविक तिथि	वर्तमान अधिवासित राशि					कुल अधिवासित राशि (लाख में)
			प्रथम वर्ष राशि (लाख में)	द्वितीय वर्ष राशि (लाख में)	तृतीय वर्ष राशि (लाख में)	चतुर्थ वर्ष राशि (लाख में)	पंचम वर्ष राशि (लाख में)		प्रथम वर्ष राशि (लाख में)	द्वितीय वर्ष राशि (लाख में)	तृतीय वर्ष राशि (लाख में)	चतुर्थ वर्ष राशि (लाख में)	पंचम वर्ष राशि (लाख में)	प्रथम वर्ष राशि (लाख में)										द्वितीय वर्ष राशि (लाख में)	तृतीय वर्ष राशि (लाख में)	चतुर्थ वर्ष राशि (लाख में)	पंचम वर्ष राशि (लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
1	Kharagpur-Tarapur	R.E.O road Durgapur to Gonai via Kendua Babhanchaka Jamua path ka nirman kary	2.12956	2.58592	10.62368	4.98284	12.40335	32.72535	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	65.76 lacs.	30.23 lacs.	Lt. 5220 Dt. 01.10.2019	31.12.2022	2.02381	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.02381	2.02381			
																									2.02381				

1. कार्य विधिस्थियों के अनुरूप कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
2. पथ में MCMU/PQM/IE से संबंधित कोई खुराद प्रतिवेदन लंबित नहीं है।
3. अनुसूचित परमाणु विवर की कुल राशि प्रस्तावित स्वीकृति की राशि से 20% सीमा के भीतर है साथ ही अनुसूचित परमाणु के मदों की मात्रा का विस्तार का
4. अनुसूचित परमाणु - प्रस्तावित स्वीकृति का पत्र, अनुसूचित परमाणु विवर एवं एकराशना की अभिलेखित प्रति।

30/08/24

प्रमाणित किया जाता है
अनुसूचित परमाणु
कार्य प्रपत्र के अनुसार

EXECUTIVE ENGINEER, RURAL WORKS DEPARTMENT, WORKS DIVISION,
Munger

FROM GFR 19 - A

(See Government of India's Decision (I) below Rule - 150)
Form of Utilisation Certificate upto the month of August 2024

Name of the Head :- NABARD Maint. Fund

Month:- August 2024

Sl. No.	Name of Bridge	Sanctioned No./ Date	Amount Received (in Lacs Rs.)	Particulars
1	2	4	5	6
1	R.E.O road Durgapur to Gonai via Kendua Babhanchaka Jamua path ka nirman kary	L.M. 5220 Date - 01.10.19 65.76 lbs.	0.00000	Certified that out of Rs. 0.00 Lacs received during the year ----- in favour of Executive Engineer R.W.D. Works Division, Kharagpur-Tarapur, Bihar a sum of Rs 0.0000 Lacs has been utilized for the purpose of NABARD Maint. Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 0.00000 Lacs remaining un-utilized at the end of the period under.
Total -			0.00000	

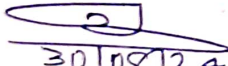
- 2 Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was Sanctioned.

Kind of Checks Exercised :-

- Works have been supervised by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test checks conducted by the Assistant Engineer/
Executive Engineer.
- All other codal formalities have been observed.

3 **Physical Progress achieved :-**

- Construction of Road Works.
- Construction of CD. Works.


30.10.24
Divisional Account Officer

RWD Works Division Kharagpur - Tarapur


20/08/24
Executive Engineer

RWD Works Division, Kharagpur-Tarapur

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु0 अ0-4 (मु0) नाबार्ड-03-303/2017 - 5220

/पटना, दिनांक-01/10/20

प्रेषक,

संजय दूबे भा0 प्र0 से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:- योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के मुंगेर जिला में (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 02 पथ निर्माण योजनाओं पर योजनावार पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-उप शीर्ष-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उप शीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के मुंगेर जिला में (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 02 पथ निर्माण योजनाओं जिसकी कुल लम्बाई 7.325 कि०मी० एवं कुल राशि रु० 470.56 लाख (चार करोड़ सतर लाख छप्पन हजार मात्र) रुपये की लागत पर योजनावार पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जाता है।

S. No	Works Division	Block	Name of Road	Length (M.)	Construction Cost (in lac)	Maintenance Cost (in lac)	TA Amount (in lac)	Amount Lac/K.m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	खड़गपुर-तारापुर	खड़गपुर	मुंगेर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, खड़गपुर-तारापुर के अधीन बरियारपुर खड़गपुर मुख्य से लोहरी पहाड़पुर पथ का निर्माण।	3.30	154.18	21.45	175.63	46.72
2		संग्रामपुर	मुंगेर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, खड़गपुर-तारापुर के अधीन आर० ई० ओ० रोड दुर्गापुर से गोनई भाया केंदुआ बभनचक जमुआ पथ का निर्माण कार्य।	4.025	264.70	30.23	294.93	65.76
कुल				7.325	418.88	51.68	470.56	

- इन दोनों योजनाओं हेतु पूर्व में जिला पदाधिकारी का पत्रांक-जि० यो० 34, दिनांक 28.01.2009 के द्वारा कमशः रु० 128.57 लाख रुपये एवं रु० 231.28 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी थी। पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर 110.71 लाख की स्वीकृति दी जाती है। इस प्रकार इस योजना की कुल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 470.56 लाख रुपये (चार करोड़ सतर लाख छप्पन हजार मात्र) रुपये है।
- इस योजना को दो वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर-तारापुर संबंधित योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
- योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
- इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड- 37-4515001030105 है, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-20 में 459.31 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।

9

11/10/19

7. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मुंगेर एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
8. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर-तारापुर यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अंतर्गत स्वीकृत नहीं है।
9. विभागीय स्थायी वित्त समिति की स्वीकृति संचिका संख्या- सं०- मु० अ०-4 (मु०) नाबार्ड-03-303/2017 के पृ० सं०-17-18/टि० पर दिनांक 11.12.17 को इस योजना की स्वीकृति प्राप्त है।
10. इस योजना के स्वीकृति सक्षम प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं०-मु० अ०-4 (मु०) नाबार्ड-03-303/2017 के पृ० सं०-09 टि० पर दिनांक 25.01.2018 को प्राप्त है।
11. ब्रांडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जायेगी।
12. कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/प्रविष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्यय करेंगे।
13. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के संसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
14. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-मु० अ०-4 (मु०) रा० यो०-03-303/2017 के पृ० सं०-12/टि० पर दिनांक 21.08.17 को प्राप्त है।
15. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
16. प्रावकलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयवधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
17. योजना के कार्यान्वयन के कम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक संपन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।
18. वित्त विभाग के पत्रांक-770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाये।
19. इस योजना हेतु वित्त विभाग के संकल्प सं०-3758 दिनांक 31.05.2017 के कंडिका 10 के आलोक में राशि की विमुक्ति उद्ब्यय/बजट उपबंध के पश्चात् ही की जा सकेगी।

विश्वासभाजन

11/01/19

(संजय दूबे)

अपर सचिव

ज्ञापक- मु० अ०-4 (मु०) नाबार्ड-03-303/2017 - 5220

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/पटना, दिनांक-01/11/18

11/01/19

अपर सचिव

ज्ञापक- मु० अ०-4 (मु०) नाबार्ड-03-303/2017 - 5220

/पटना, दिनांक-01/10/2018

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/उप विकास, आयुक्त मुंगेर/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव सह इम्पावर्ड ऑफिसर ब्रांडा/मुख्य अभियंता-2, पटना ग्रा० का० वि०/मु० अ०-4 (मुख्यालय) ग्रा० का० वि०/अधीक्षण अभियंता, ग्रा० का० वि०, कार्य अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य प्रमंडल, खड़गपुर-तारापुर/मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड; बिहार क्षेत्रीय कार्यालय (मौर्या कम्पलेक्स पॉचवीं मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना, आई० टी० सैनेजर, ग्रा० का० वि० को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/01/19

अपर सचिव